R-304/III/14

न्यायालय-राजस्व मण्डल, ग्वालियर(मध्यप्रदेश)

प्रकरण क्रमांक   /२०१४-१५ रिवीजन

श्रीमती शीला - - आवेदिका

बनाम

भगवतप्रसाद आदि - - अनावेदकगण

शीघ्र सुनवाई किये जाने हेतु आवेदनपत्र

माननीय न्यायालय,

आवेदिका का आवेदन निम्नांकित प्रस्तुत है :-

१) यह कि, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक २८।६।२००७ के विपरीत पुनरीक्षण याचिका पेश की गई है तथा याचिका के साथ आवेदन धारा ५२ म०प्र०भू०रा०सं० के तहत वास्ते विवादित आदेश के क्रियान्वयन को पुनरीक्षण याचिका के अंतिम निराकरण तक स्थगित किये जाने की याचना के सहित प्रस्तुत किया गया है।

२) यह कि, प्रस्तुत याचिका व स्थगन आवेदन में वर्णित तथ्यों से जाहिर है कि याचिका व स्थगन आवेदन धारा ५२ अर्जेन्ट नेचर के हैं जिन्हें आज ही विचार में लिया जाकर निराकरण किया जाना न्यायसंगत है, अन्यथा दशा में आवेदिका के न्यायदान पाने से विमुख रहने की संभावना रहेगी जो मंशा न्याय व कानून की कतई नहीं है।

अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर पुनरीक्षण याचिका के साथ संलग्न स्थगन आवेदन की सुनवाई आज ही किये जाने की कृपा की जावे।

इति दिनांक - २३।१।२०१४ प्रार्थी,

श्रीमती शीला - - आवेदिका

द्वारा-अभि० (सौरभ जैन)

Doloker / Order Sheet ,

(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 304–तीन / 14 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–04–15	आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित । अनावेदक कमांक 1 की ओर से अधिवक्ता श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदकपक्ष व आवेदक अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । बाद पुकार प्रकरण आवेदकपक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । **प्रशासकीय सदस्य**	